न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– **54 / 2020 अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री मोतीलाल सिंघानिया निवासी जी – 37, रीको 4 फेज, पुर रोड भीलवाडा **बनाम** लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा

––अपीलार्थी

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 26-01-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा के विरूद्ध दिनांक 11.09.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 48 एफ 371670 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 17.06.2020 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाडा को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 17.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवांडा द्वारा पत्रांक / सूचना प्रकोष्ठ / 2020 / 154 दिनांक 25.09.2020 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में तहसीलदार भीलवाडा ने निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं –

1. ''प्रार्थी द्वारा चाही गयी सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नही होने एवं न ही भूदान में खातेदारी देने का अधिकार तहसीलदार भीलवाडा को है।'' इस कार्यालय के राजस्व अनुभाग द्वारा इस सूचना से प्रार्थी को दिनांक 07.07.2020 को सूचित कर दिया गया है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 26-01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा